

प्रेषक,

उमा शंकर सिंह,  
विशेष कार्याधिकारी,  
उत्तर प्रदेश शासन।

सेवा में,

अधिशाली अधिकारी,  
नगर पंचायत,  
सिद्धौर-बाराबंकी।

नगर विकास अनुभाग-5

लखनऊ दिनांक ४ मार्च, 2017

विषय:- वित्तीय वर्ष 2016-17 में 'नगरीय सड़क सुधार योजना' के अन्तर्गत स्वीकृत धनराशि की उपयोगिता अवधि बढ़ाये जाने के सम्बन्ध में।

महोदय,

उपर्युक्त विषयक अध्यक्ष/अधिशाली अधिकारी, नगर पंचायत, सिद्धौर जनपद बाराबंकी के पत्र संख्या-32/न0प0सि0/समया0/2016-17 दिनांक 09 जनवरी, 2016 एवं पत्र संख्या-34/न0प0सि0/समया0/2016-17 दिनांक 10 फरवरी, 2016 द्वारा किये गये अनुरोध के क्रम में मुझे यह कहने का निदेश हुआ है कि वित्तीय वर्ष 2016-17 में 'नगरीय सड़क सुधार योजना' के अन्तर्गत शासनादेश संख्या-205/2016-1254/नौ-5-2016-155बजट/2015टीसी दिनांक 13 जुलाई, 2016 द्वारा नगर पंचायत, सिद्धौर जनपद बाराबंकी में सड़क सुधार कार्यों हेतु प्रशासकीय एवं वित्तीय स्वीकृति रु० 30.00 लाख के सापेक्ष प्रथम किशत के रूप में निर्गत धनराशि रु. 15.00 लाख की उपयोगिता अवधि दिनांक 31 मार्च, 2017 तक इस शर्त के अधीन अन्तिम बार बढ़ायी जाती है कि सम्बन्धित नागर निकाय द्वारा इस अवधि में प्रत्येक दशा में स्वीकृत कार्य पूर्ण कराकर धनराशि का उपभोग सुनिश्चित करते हुए प्रमाण-पत्र महालेखाकार, उ.प्र. इलाहाबाद, शासन तथा निदेशक, नगरीय निकाय निदेशालय को उपलब्ध कराया जायेगा।

भवदीय,

(उमा शंकर सिंह)  
विशेष कार्याधिकारी।

संख्या-704(1)/नौ-5-2017-155बजट/2015टीसी

प्रतिलिपि निम्नलिखित को सूचनार्थ एवं आवश्यक कार्यवाही हेतु प्रेषित-

1. महालेखाकार, उत्तर प्रदेश इलाहाबाद।
2. मण्डलायुक्त, फैजाबाद।
3. जिलाधिकारी, बाराबंकी
4. कोषाधिकारी, बाराबंकी।
5. निदेशक, नगरीय निकाय निदेशालय, इन्दिरा भवन, लखनऊ।
6. अध्यक्ष, नगर पंचायत, सिद्धौर जनपद बाराबंकी।
7. वित्त (व्यय-नियंत्रण) अनुभाग-8/वित्त (आय-व्ययक) अनुभाग-1/2
8. गार्ड फाईल/कम्प्यूटर सेल वेबसाइट पर अपलोड किये जाने हेतु।

आज्ञा से,

(उमा शंकर सिंह)  
विशेष कार्याधिकारी।